उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

परमिशन वाद संख्या – ...10... / 2018

गणेश महतो वगै0 बनाम् गेल (इंडिया)लि0

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
27/06/2018	आवेदक (1) गणेश महतो (2) संजु महतो (3) भादो महतो (4) रितुलाल महतो (5) दिलेश्वर महतो (6) शीतल महतो (7) सेवालाल महतो (8) बुन्दिया देवी (9) विणा देवी (10) बरजु महतो (11) झालो देवी एवं (12) सोना राम महतो सभी का साकिन ग्राम कुल्ही, थाना–गोला, जिला–रामगढ़ (झारखण्ड) द्वारा मौजा– कुल्ही, खाता नं0–48, प्लॉट, नं0–879, रकवा– 0.39 एकड़ भूमि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 49 के अर्न्तगत गेल (इंडिया)लि0 को बिक्री / हस्तांतरण करने की अनुमति हेतु आवेदन दायर किया गया है। आवेदकगण से प्राप्त आवेदन एवं संलग्नक कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि निबंधित केवाला के माध्यम से मौजा कुल्ही, खाता नं0 48, प्लॉट नं0 879, रकवा 0.80 एकड़ भूमि बोधन महतो, महेश महतो, गणेश महतो, दिनानाथ महतो, मो0 चुनगी, सेवालाल महतो, सहज महतो एवं शीतल महतो को प्राप्त है, जिसकी जमाबंदी बोधन महतो वगै0 के नाम से राजस्व पंजी में चल रही है। आवेदक क्रमांक (2) संजु महतो (3) भादो महतो (5) दिलेश्वर महतो (9) वीणा देवी (11) झालो देवी एवं (12) सोनाराम महतो निबंधित केवाला में उल्लेखित रैयतो के वंशज अन्तर्गत आवेदन में उल्लेखित वंशावली के आधार पर नही आते है। आवेदन में उल्लेखित वंशावली के समर्थन में सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न नही है। साथ ही आवेदको के द्वारा उक्त भूमि के अलावे कितनी शेष भूमि उनके हिस्से में है, आवेदन में उल्लेख नही किया गया है और न ही अन्य हिस्से की भूमि से संबंधित कागजात संलग्न किया गया है। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि सम्मीलात है, जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि अनुमति हेतु दायर आवेदन में उल्लेखित भूमि आवेदकगण के हिस्से की भूमि है या नहीं इस संबंध में किसी प्रकार का दस्तावेंज आवेदन के साथ संलग्न नही किया गया है। विपक्षी को भूमि हस्तान्तरण हेतु दायर शपथ पत्र में सभी आवेदकगणों का हस्ताक्षर / सहमति नहीं दिया गया है। उक्त परिपेक्ष्य में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 49 अर्न्तगत अनुमति हेतु प्राप्त आवेदन पोषणीय नहीं है। अतः प्रविष्टि के बिन्दु पर प्रश्नगत भूमि से संबंधित अनुमति हेतु प्राप्त आवेदन को **अस्वीकृत** किया जाता है। इसी मंतव्य के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें। लेखापित एवं संशाधित 27/6/18 उपायुक्त, रामगढ़। 27/6/18 उपायुक्त, रामगढ़।	Seen Rohit Prakash Adv. 29.06.18